29 मार्च 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. फरवरी में कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि बढ़कर 6.7% हो गई (GS PAPERIII: उद्योग)
2. POCSO अपराध के आरोपी बच्चे पर जेजे अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा' (GS PAPERII: कमजोर धारा)
3. स्काईरूट एयरोस्पेस ने एपी में विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के चरण-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया (GS PAPERIII: एस एंड टी)
4. चारमीनार. (GS PAPERI: ए एंड सी)
5. सरकार. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एएफएसपीए बढ़ाया गया (GS PAPERIII: आंतरिक सुरक्षा) (GS PAPERIII: आंतरिक सुरक्षा)
6. भारत को शांति प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए: यूक्रेन के विदेश मंत्री (GS PAPERII: आईआर)
7. सलाहकार बोर्ड को इस पर विचार करना होगा कि क्या कानून की नजर में हिरासत की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट (GS PAPERII: मौलिक अधिकार)
8. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट (GS PAPERII: गरीबी और भूख) के अनुसार, दुनिया भर में परिवार प्रतिदिन 1 अरब भोजन बर्बाद करते हैं।
9. प्रणालीगत चुनौतियाँ बरकरार रहने के कारण टीबी का उन्मूलन एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है (GS PAPERII: स्वास्थ्य क्षेत्र)
10. महामारी संधि की उलटी गिनती (GS PAPERII: स्वास्थ्य क्षेत्र)
11. आसानी से उकसाया जाना: भारत के आंतरिक मामलों और विदेशी टिप्पणियों पर (GS PAPERII: भारत-अमेरिका संबंध)
12. नौकरियों का परिदृश्य निराशाजनक: 'द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' पर (GS PAPERIII: समावेशी विकास और बेरोजगारी)
13. भारत के कोयला आयात को समझना (GS PAPERIII: उद्योग)
14. क्या चुनावी बांड योजना जबरन वसूली को सक्षम बनाती है (GS PAPERII: चुनाव)
15. तकनीकी दिग्गज यूरोपीय संघ की जांच का सामना कर रहे हैं (GS PAPERIII: प्रतिस्पर्धी बाजार)

फरवरी में कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि बढ़कर 6.7% हो गई । (GS PAPERIII: उद्योग)

- भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई, जो फरवरी में तीन महीने के उच्चतम 6.7% पर पहुंच गई।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से **कोयला, प्राकृतिक गैस और सीमेंट उत्पादन में दोहरे अंक की वृद्धि से प्रेरित थी** ।
- हालाँकि, उर्वरकों के उत्पादन में 9.5% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो मई 2021 के बाद से सबसे तेज संकुचन है।
- जनवरी के लिए कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स (आईसीआई) को 4.1% की वृद्धि दर्शाने के लिए संशोधित किया गया था, जो पिछले अनुमान 3.6% से अधिक था, लेकिन यह 15 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि रही।

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI)

- **यह** एक मासिक उत्पादन मात्रा सूचकांक है जो भारत में आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापता है।
- **महत्व:** आईसीआई एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य और दिशा में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ।

आठ प्रमुख उद्योग:

1. **कोयला:** कच्चे कोयले का उत्पादन
2. **कच्चा तेल:** कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन
3. **प्राकृतिक गैस:** प्राकृतिक गैस का उत्पादन
4. **रिफाइनरी उत्पाद:** पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन (उदा. पेट्रोल, डीजल)
5. **उर्वरक:** उर्वरकों का उत्पादन
6. **इस्पात:** बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन
7. **सीमेंट:** सीमेंट का उत्पादन
8. **बिजली:** बिजली उत्पादन

नवीनतम संशोधन के अनुसार वज़न का वर्गीकरण:

कोर उद्योग	आईसीआई में वजन (%)
रिफाइनरी उत्पाद	28.04
बिजली	19.85
इस्पात	17.92
कोयला	10.33
कच्चा तेल	8.98

प्राकृतिक गैस	6.88
सीमेंट	5.37
उर्वरक	2.63

संकलन एवं विमोचन

- **एजेंसी:** आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक आर्थिक सलाहकार (ओईए), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है।
- **आवृत्ति:** मासिक डेटा

वज़न:

- **सूचकांक में आठ उद्योगों का अलग-अलग भार है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके सापेक्ष महत्व को दर्शाता है।** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ उद्योगों का संयुक्त भार 40.27% है।

उद्देश्य एवं उपयोग

- **औद्योगिक प्रदर्शन की निगरानी:** आईसीआई भारत के औद्योगिक विकास में अल्पकालिक रुझानों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- **नीति निर्धारण:** सरकार और नीति निर्माता विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए आईसीआई का उपयोग करते हैं।
- **विश्लेषण:** अर्थशास्त्री और बाजार विश्लेषक रुझानों को समझने और पूर्वानुमान लगाने के लिए आईसीआई डेटा का उपयोग करते हैं।

- उर्वरकों के उत्पादन में लगातार दूसरे महीने साल-दर-साल गिरावट देखी गई, जो दो वर्षों में इस तरह की पहली गिरावट है।
- कुल मिलाकर, कुछ क्षेत्रों में वृद्धि के बावजूद, पूर्ण उत्पादन स्तर तीन महीने के निचले स्तर पर था और जनवरी के स्तर से 4.9% नीचे था, जो दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
- क्रमिक वृद्धि के संदर्भ में, केवल सीमेंट क्षेत्र में जनवरी के उत्पादन स्तर की तुलना में 1.74% की वृद्धि दर्ज की गई।

POCSO अपराध के आरोपी बच्चे पर जेजे अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा' (GS Paper II: कमजोर धारा)

- केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपी बच्चे पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- यह फैसला एक 13 वर्षीय लड़के द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें उसके खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की गई थी।
- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक अन्य लड़के का यौन उत्पीड़न किया था।

- याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि **POCSO अधिनियम या IPC यौन अपराधों के तहत एक बच्चे पर मुकदमा चलाना संभव नहीं था क्योंकि बच्चे की उम्र के कारण उसे आपराधिक इरादे से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था** ।
- अदालत ने कहा कि जबकि **POCSO अधिनियम "बच्चे" को परिभाषित नहीं करता है, JJ अधिनियम, 2015, एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अभी तक 18 वर्ष का नहीं हुआ है** ।
- नतीजतन, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

स्काईरूट एयरोस्पेस ने एपी में विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के अग्नि चरण-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया (GS PAPERIII: एस एंड टी)

- स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने **विक्रम-1 प्रक्षेपण यान** के चरण-2 का सफल परीक्षण किया ।
- परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर हुआ।
- **चरण-2, जिसे कलाम-250 के नाम से जाना जाता है** , प्रक्षेपण यान के आरोहण चरण के दौरान महत्वपूर्ण है, जो इसे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से और अंतरिक्ष में ले जाता है।
- विक्रम -1 प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि **यह देश का पहला निजी कक्षीय रॉकेट प्रक्षेपण होगा** ।
- यह **नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट, विक्रम-एस के स्काईरूट के सबऑर्बिटल लॉन्च के बाद है** ।
- परीक्षण 85 सेकंड तक चला और 186 किलोन्यूटन (kN) का चरम समुद्र-स्तर का जोर दर्ज किया गया।
- उड़ान के दौरान इस जोर के लगभग 235kN के पूर्ण विस्तारित वैक्यूम जोर में तब्दील होने की उम्मीद है।
- कलाम -250 **एक उच्च शक्ति वाला कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर है।**
- यह **ठोस ईंधन और उच्च प्रदर्शन वाले एथिलीन-प्रोपलीन-डायन टेरपोलिमर (ईपीडीएम) थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम (टीपीएस) का उपयोग करता है।**
- स्टेज-2 में थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण के लिए कार्बन एब्लेटिव फ्लेक्स नोजल और उच्च परिशुद्धता वाले इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्चुएटर्स शामिल हैं।
- ये घटक रॉकेट को वांछित प्रक्षेप पथ प्राप्त करने में मदद करते हैं।
- कलाम-250 में प्रयुक्त ठोस प्रणोदक को सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा उनकी नागपुर सुविधा में संसाधित किया गया था।

Lit for Ramzan

The bazaar around Charminar stands illuminated against the dark night as shops with discounted fare and a slew of food stalls draw lakhs of people from Hyderabad city and beyond for Ramzan shopping and seasonal delicacies. NAGARA GOPAL

- **स्थान:** हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
- **अर्थ:** उर्दू में "चार मीनारें"।
- **निर्माण:** 1591 ई. में पूरा हुआ
- **उद्देश्य:** मुख्यतः एक मस्जिद के रूप में; एक स्मारक संरचना भी

इतिहास

- **संस्थापक:** **मुहम्मद कुली कुतुब शाह** , कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक थे।
- **निर्माण के कारण**
  - **स्मरणोत्सव:** हैदराबाद शहर को तबाह करने वाली घातक प्लेग के अंत का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि कुली कुतुब शाह ने इस स्थान पर प्रार्थना की थी और प्लेग समाप्त होने पर एक मस्जिद बनाने की कसम खाई थी।
  - **हैदराबाद की स्थापना:** कुतुब शाहियों ने गोलकुंडा से अपना आधार स्थानांतरित कर नई राजधानी हैदराबाद की नींव रखी।
- **वास्तुकला:** **इंडो-इस्लामिक स्थापत्य शैली** फ़ारसी प्रभाव की विशेषता।
  - **संरचना:** मुख्य सड़कों की ओर चार भव्य मेहराबों वाला एक वर्गाकार आधार।
  - **मीनारें:** चार जटिल नक्काशीदार मीनारें, प्रत्येक में एक दोहरी बालकनी और एक गुंबद है।
  - **मस्जिद:** ऊपरी मंजिल पर एक छोटी मस्जिद।

सरकार. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एएफएसपीए बढ़ाया गया (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा) (GS PAPERIII: आंतरिक सुरक्षा)

- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने **नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को बढ़ा दिया है** ।
- यह विस्तार अगले छह महीने के लिए है।

- नागालैंड में, AFSPA को **पूरे आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में बढ़ा दिया गया है** ।

AFSPA

- **यह** 1958 में पारित संसद का एक अधिनियम है, जो नामित "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **अशांत क्षेत्र: किसी क्षेत्र को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा** "अशांत" घोषित किया जा सकता है यदि उसे हिंसक आतंकवादी, अलगाववादी या विद्रोही गतिविधि से गंभीर रूप से खतरा माना जाता है।
- **उद्देश्य:** सशस्त्र बलों को आंतरिक अशांति का सामना करने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम बनाना।

AFSPA के तहत दी गई प्रमुख शक्तियां

- **बिना वारंट के गिरफ्तारी:** उचित संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करें।
- **तलाशी और जब्ती:** बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करें और तलाशी लें।
- **बल का प्रयोग:** यदि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए (कुछ शर्तों के साथ) आवश्यक समझा जाए, तो बल का प्रयोग करें, यहां तक कि मौत का कारण बनने तक भी।
- **अभियोजन से सुरक्षा:** AFSPA के तहत की गई कार्रवाई के लिए सशस्त्र बल कर्मियों को कुछ हद तक कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

वे क्षेत्र जहां AFSPA लागू है

- **AFSPA निम्नलिखित भागों में लागू है:**
  - **जम्मू और कश्मीर**
  - **असम**
  - **नगालैंड**
  - **अरुणाचल प्रदेश के भाग**
  - **मणिपुर के भाग**
- **आंशिक वापसी:** हाल के वर्षों में त्रिपुरा और मेघालय सहित कई क्षेत्रों से AFSPA को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है।

विवाद और बहस

- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** कथित मानवाधिकारों के हनन और इसके संरक्षण में सशस्त्र बलों द्वारा की गई ज्यादतियों के लिए मानवाधिकार संगठनों द्वारा AFSPA की भारी आलोचना की गई है।
- **निरस्त करने की मांग:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA को निरस्त करने या संशोधित करने की व्यापक मांगें उठ रही हैं।
- **सरकार का दृष्टिकोण:** सरकार का तर्क है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर आंतरिक गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में AFSPA आवश्यक है।

- नामसाई जिले के तीन पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ा दिया गया है।
- AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना 1 अप्रैल से शुरू होकर छह महीने की अवधि के लिए जारी की गई, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
- न्यूलैंड , चुमौकेदिमा , मोन, किफिरे , नोकलाक , फेक और पेरेन जिलों में प्रभावी होगा ।
- कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा सहित विशिष्ट पुलिस स्टेशनों में भी लागू होगा।
- मोकोकचुंग जिले में , यह मंगकोलेम्बा , मोकोकचुंग -I, लोंगथो , तुली, लॉन्गकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशनों पर लागू होता है।
- लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन और वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं।
- ज़ुन्हेबोटो जिले में , AFSPA घटाशी , पुघोबोटो , सताखा , सुरुहुतो , ज़ुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों तक फैला हुआ है।
- अरुणाचल प्रदेश में, AFSPA को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तक बढ़ा दिया गया है।

- असम सीमा के साथ नामसाई जिले के नामसाई , महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है ।

भारत को शांति प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए: यूक्रेन के विदेश मंत्री (GS PAPER II: आईआर)

- यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत इस गर्मी में स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा और रूस को बातचीत की मेज पर लाने में मदद करेगा।
- विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात से पहले यह उम्मीद जताई.
- फरवरी 2022 में रूसी हमले शुरू होने के बाद से यह यात्रा यूक्रेन की ओर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है।
- यात्रा का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार से राजनयिक और मध्यस्थ समर्थन प्राप्त करना और यूक्रेन में नष्ट हुई सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता का अनुरोध करना है।
- यह **यात्रा नई दिल्ली और कीव दोनों की स्थिति में बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि श्री कुलेबा ने पहले भारत की रूसी तेल खरीद की आलोचना की थी।**
- मोदी **सरकार ने किसी भी मंत्री को कीव नहीं भेजा है और कीव के अनुरोध के बावजूद, 2023 में जी-20 को संबोधित करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया है** ।
- श्री कुलेबा ने इस बात पर जोर दिया कि स्विस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी से शांति प्रयासों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- उन्होंने भारत से शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रूस के साथ अपने प्रभाव का लाभ उठाने का आग्रह किया, और विश्वास व्यक्त किया कि रूस के साथ चर्चा अंततः होगी।
- प्रवक्ता ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई लेकिन निमंत्रण पर भारत की प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं की।

सलाहकार बोर्ड को इस पर विचार करना होगा कि क्या कानून की नजर में हिरासत की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट (GS PAPERII: मौलिक अधिकार)

- सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत कानूनों में सलाहकार बोर्डों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- **सलाहकार बोर्डों को केवल नजरबंदी आदेशों को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मनमानी राज्य शक्ति के खिलाफ सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करना चाहिए।**
- अनुच्छेद 22 संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए सलाहकार बोर्ड के गठन का आदेश दिया गया है।
- न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बोर्ड के सदस्यों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्य होने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, जिससे सरकारी हिरासत आदेशों की गहन जांच सुनिश्चित होती है।
- इन बोर्डों को उनके औचित्य का आकलन करने के लिए हर तीन महीने में हिरासत के आदेशों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है ।

- बोर्डों को सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करना चाहिए, बंदी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, और हिरासत के औचित्य का निर्धारण करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला तेलंगाना पुलिस के आदेश पर **तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 के तहत हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील के जवाब में था।**
- पुलिस ने अपीलकर्ता को आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया।
- पर दिनदहाड़े महिलाओं के मंगलसूत्र (एक पवित्र हार) छीनकर उनमें दहशत और भय पैदा करने का आरोप लगाया गया था।
- न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस बात पर जोर दिया कि बिना ठोस सबूत के संभावित भविष्य के अपराधों की धारणा के आधार पर किसी को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अन्यायपूर्ण है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया है।
- **न्यायमूर्ति पारदीवाला ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के बीच अंतर स्पष्ट किया।**
- **"कानून और व्यवस्था" के मुद्दे आम तौर पर सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, जबकि "सार्वजनिक व्यवस्था" के मामले व्यापक समुदाय या यहां तक कि पूरे देश को प्रभावित करते हैं।**
- **सार्वजनिक व्यवस्था का तात्पर्य समग्र रूप से समाज के सुचारू कामकाज से है।**
- अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून और व्यवस्था के मुद्दों को संभालने में पुलिस की विफलता को निवारक हिरासत उपायों का सहारा लेने का औचित्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- अंततः, हिरासत आदेश को पलट दिया गया क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी एफआईआर में उसे सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया था।

दुनिया भर में परिवार प्रतिदिन 1 अरब भोजन बर्बाद करते हैं। (GS PAPERII: गरीबी और भूख)

- खाद्य **अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 ने** 2022 में वैश्विक खाद्य बर्बादी के संबंध में आंकड़ों का खुलासा किया।
- **783 मिलियन लोगों को भूख का सामना करने और मानवता के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करने** के बावजूद , दुनिया भर में घरों में प्रतिदिन एक अरब से अधिक भोजन बर्बाद होता है।
- 2022 में, भोजन की बर्बादी 1.05 बिलियन टन थी, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम के बराबर है, और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- कुल खाद्य अपशिष्ट में घरेलू अपशिष्ट का योगदान 60% था, जबकि खाद्य सेवाएँ 28% के लिए ज़िम्मेदार थीं, और खुदरा अपशिष्ट 12% के लिए ज़िम्मेदार था।
- रिपोर्ट **में विशेष रूप से पर्याप्त प्रणालियों की कमी वाले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भोजन की बर्बादी पर नज़र रखने और निगरानी के लिए डेटा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है** ।
- **सतत विकास लक्ष्य 12.3 को** पूरा करने के लिए , जिसका लक्ष्य 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करना है, बेहतर ट्रैकिंग तंत्र की आवश्यकता है, खासकर खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में।
- वर्तमान में, **केवल चार जी-20 देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस) और यूरोपीय संघ के पास 2030 लक्ष्य की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए उपयुक्त खाद्य अपशिष्ट अनुमान हैं** ।

- रिपोर्ट **इस धारणा को चुनौती देती है कि भोजन की बर्बादी केवल अमीर देशों में एक समस्या है, जिससे पता चलता है कि उच्च आय, उच्च-मध्यम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में औसत घरेलू भोजन बर्बादी का स्तर प्रति व्यक्ति केवल 7 किलोग्राम तक भिन्न होता है** ।
- **गर्म जलवायु** घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, संभवतः महत्वपूर्ण अखाद्य भागों वाले ताजे खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत और प्रभावी कोल्ड चेन की कमी के कारण।
- **खाद्य अपशिष्ट का जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8% -10% का योगदान देता है** , जो विमानन क्षेत्र से उत्सर्जन का लगभग पांच गुना है। इसके अतिरिक्त, यह दुनिया की एक तिहाई कृषि भूमि के उपयोग से महत्वपूर्ण जैव विविधता की हानि का कारण बनता है।
- **वैश्विक स्तर पर भोजन की हानि और बर्बादी का आर्थिक प्रभाव $1 ट्रिलियन होने का अनुमान** है ।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम भोजन बर्बाद होता है, जिसका मुख्य कारण भोजन के बचे हुए टुकड़ों को पालतू जानवरों, पशुधन और घरेलू खाद में अधिक उपयोग करना है।**
- सरकारों से जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने और उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी जलवायु रणनीतियों में भोजन के नुकसान और बर्बादी को कम करने के प्रयासों को एकीकृत करने का आग्रह किया जाता है।

- **UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) और WRAP (अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम) की एक प्रमुख रिपोर्ट:** पहली **खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट** 2021 में रिलीज़ हुई थी; 2024 संस्करण अद्यतन डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** दुनिया भर में खुदरा, खाद्य सेवा और घरेलू स्तर पर भोजन की बर्बादी के रुझान को मापना और ट्रैक करना।
- **मुख्य लक्ष्य:** देशों को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य 12.3 प्राप्त करने में मदद करना: खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना, और 2030 तक खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करना।

प्रणालीगत चुनौतियाँ बरकरार रहने के कारण टीबी का उन्मूलन एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है (GS PAPERII: स्वास्थ्य क्षेत्र)

- **24 मार्च को विश्व टीबी दिवस** से पहले प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा , जिसमें भारत के तपेदिक (टीबी) संकट को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- जैसा कि पत्र में कहा गया है, 2025 तक उच्च-भार वाली संक्रामक टीबी को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **छह प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है:** टीबी निदान और पहुंच; निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण उपचार और दवाओं तक पहुंच का अभाव; पर्याप्त पोषण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता; कलंक-मुक्त और लिंग-उत्तरदायी देखभाल; आर्थिक सहायता; और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल।
- द लैंसेट की एक टिप्पणी के अनुसार तपेदिक को एक **"जैवसामाजिक समस्या" के रूप में वर्णित किया गया है जिसके लिए "जैवसामाजिक समाधान" की आवश्यकता है ।**

टीबी उन्मूलन में भारत अग्रणी हो सकता है

- विश्व टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, टीबी उन्मूलन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- 2022 में, भारत में **प्रति 100,000 लोगों पर औसतन 199 नए टीबी संक्रमण दर्ज किए गए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बहु-दवा प्रतिरोधी था** ।
- **भारत में हर साल** लगभग 400,000 लोग टीबी से मरते हैं।
- वर्तमान बायोमेडिकल रणनीतियों में **बीसीजी वैक्सीन, तपेदिक निवारक उपचार (टीपीटी), और नए, छोटे रिफामाइसिन-आधारित उपचार शासन शामिल हैं** ।

- **अपर्याप्त निदान और उपचार पहुंच, कलंक और सामाजिक आर्थिक बाधाएं जैसी** चुनौतियाँ टीबी से निपटने में भारत की प्रगति में बाधा बनी हुई हैं।
- **अल्पपोषण को** नए टीबी मामलों और गंभीर टीबी परिणामों दोनों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में पहचाना जाता है, **जो उपचार प्रभावकारिता और मृत्यु दर को प्रभावित करता है** ।
- टीबी रोगियों के लिए पोषण संबंधी सहायता महत्वपूर्ण है, और सरकार ने 2018 से पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ₹500 के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और खाद्य-टोकरी योजना जैसी योजनाएं शुरू करके इसे मान्यता दी है।

पोषण संबंधी सहायता

- एक अध्ययन से **पता चला कि पोषण संबंधी सहायता के परिणामस्वरूप वजन बढ़ा और मृत्यु का जोखिम 40-50% कम हो गया।** झारखंड में टीबी के मरीजों के बीच.
- भारत में टीबी प्रबंधन को बैक्टीरिया, दवाओं और टीकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ गरीबी से संबंधित अल्पपोषण जैसे सामाजिक कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए।
- विलंबित निदान और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच की कमी टीबी प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।
- एसएटीबी विशेष रूप से दूरदराज और हाशिये पर रहने वाले समुदायों में मुफ्त, सटीक और किफायती टीबी निदान तक पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है, और **भारत को अनुमानित रोगियों के बीच टीबी के लिए तेजी से आणविक निदान परीक्षणों का दायरा बढ़ाना चाहिए** ।
- बहु-दवा प्रतिरोध ने समस्या को बढ़ा दिया है, 2022 में 63,801 रोगियों में दवा-प्रतिरोधी टीबी का निदान किया गया है।
- **एमडीआर-टीबी रोगियों की देखभाल में आने वाली बाधाओं में निदान, परामर्श की कमी , राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में देर से रेफरल और वित्तीय बाधाएं शामिल हैं** ।
- केंद्रों पर देरी से रिपोर्ट करने के कारण , एक प्रमुख मुद्दा है, टीबी के लक्षणों वाले लगभग दो-तिहाई व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की तलाश नहीं करते हैं।
- **बच्चों में टीबी भारत में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जो वैश्विक बोझ में लगभग 31% योगदान देता है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सालाना इलाज किए जाने वाले सभी रोगियों में 6-7% बच्चे होते हैं** ।

व्यापक देखभाल

- डॉ। शेवाडे टीबी से निपटने के लिए टिकाऊ और लागत प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।
- भारत के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के मौजूदा मार्गदर्शन को लागू करने में **गंभीर अल्पपोषण (16 से कम बीएमआई) वाले टीबी रोगियों के परिवारों के लिए मासिक राशन को दोगुना करना और निदान के समय सभी वयस्क टीबी रोगियों के लिए बीएमआई को मापना शामिल है** ।
- वैकल्पिक रूप से, यदि बजट अनुमति देता है, तो इस रणनीति को पोषण के पूरक और घरेलू संपर्कों के बीच टीबी की घटनाओं को कम करने के लिए टीबी से प्रभावित सभी परिवारों पर कम से कम एक वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है।
- बहुत गंभीर अल्पपोषण वाले मरीजों को आंतरिक देखभाल के दौरान चिकित्सीय पोषण, जैसे फॉर्मूला तरल मौखिक फ़ीड की आवश्यकता होती है।
- इन रोगियों को अक्सर भूख कम लगती है और उन्हें चिकित्सीय पोषण की सुविधाओं के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज या जिला मुख्यालय अस्पतालों में अलगाव या प्रवेश के लिए निर्धारित बिस्तरों की आवश्यकता हो सकती है।
- तमिलनाडु में एक राज्य-व्यापी विभेदित टीबी देखभाल मॉडल (टीएन-केईटी) से पता चला है कि व्यापक मूल्यांकन और आंतरिक रोगी देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने के लिए रोगियों का परीक्षण करने से संसाधन-सीमित सेटिंग्स में टीबी से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है।

- चूंकि टीबी से होने वाली 70% मौतें पहले दो महीनों के भीतर होती हैं, डॉ. के अनुसार, टीबी के निदान के लिए रोगियों का परीक्षण करना और प्रयोगशाला और नैदानिक क्षमता के बिना भी संकेतक का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। शेवाडे ।

महामारी संधि की उलटी गिनती (GS PAPERII: स्वास्थ्य क्षेत्र)

विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी समझौता राष्ट्रों के बीच विश्वास और समन्वय के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि इसके ढहने का खतरा है।

- **मार्च 2021 में, 25 शासनाध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने एक महामारी संधि के लिए आह्वान जारी किया** , जो वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) महामारी समझौते** के लिए **अंतर सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी)** की नौवीं बैठक 18 मार्च, 2021 को शुरू हुआ।
- **30 पृष्ठों** वाले इस समझौते को 1948 के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है।
- महामारी समझौते का भाग्य मई के अंत में **विश्व स्वास्थ्य सभा में अनुमोदन पर निर्भर करता है** , बहस के बीच जो इसके पतन का कारण बन सकता है।
- WHO **महामारी समझौते का उद्देश्य COVID-19 संकट से उजागर विफलताओं को संबोधित करना और भविष्य की महामारियों के खिलाफ वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना है** ।
- यह **प्राथमिक लक्ष्य के रूप में समानता के साथ महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने पर केंद्रित है** ।
- संधि का उद्देश्य **देशों में अपर्याप्त तैयारियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की कमी जैसे मुद्दों को सुधारना है** , जो कि COVID-19 महामारी के दौरान उजागर हुए थे।

वैश्विक महामारी संधि क्या है?

- महामारी समझौते के मसौदा वार्ता पाठ में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **रोगज़नक़ निगरानी** : महामारी की संभावना वाले रोगजनकों की निगरानी करना।
    - **स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल क्षमता** : स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की क्षमता को मजबूत करना।
    - **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स** : कुशल आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना।
    - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** : प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से टीकों के उत्पादन, नैदानिक परीक्षणों और उपचारों का समर्थन करना।
    - **बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों की छूट : चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए** आईपी अधिकारों की छूट की अनुमति ।
- **देशों को रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वच्छता को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है** ।
- WHO में अलग-अलग चर्चाएँ **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर केंद्रित हैं** , जो देशों को अपनी सीमाओं के भीतर स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रिपोर्ट करने का आदेश देते हैं।
- पूरे पाठ में चिकित्सा उत्पादों तक समान पहुंच पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, जो सिद्धांतों, तैयारियों, उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पहुंच और लाभ साझाकरण, साथ ही आपूर्ति और खरीद से संबंधित प्रावधानों में दिखाई देता है।

- वार्ता पाठ में **पार्टियों के सम्मेलन (CoP) की स्थापना का प्रस्ताव है महामारी समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करना** ।
- इससे पता चलता है कि यह समझौता अनुच्छेद 21 ऑप्ट-आउट नियमों के बजाय डब्ल्यूएचओ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनाई गई एक पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संधि हो सकती है।

- **विकासशील देशों ने चल रही वार्ता में संशोधित वार्ता पाठ को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है, जबकि विकसित देशों ने इसकी आलोचना की है** ।
- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विकसित देशों ने पाठ में तत्वों को **उनके लिए 'रेडलाइन' के रूप में संदर्भित किया है** , विशेष रूप से **वित्तपोषण और बौद्धिक संपदा (IP) मामलों के संबंध में** ।
- कुछ विकसित देशों ने पाठ को 'पीछे की ओर कदम' का लेबल दिया ।
- प्रमुख वास्तविक असहमतियों के अलावा, **अंतिम चरण में इन वार्ताओं के संचालन के तौर-तरीकों पर भी एक सामान्य असहमति है** ।
- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत ने समझौते के भीतर इक्विटी को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, विशेष रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच **दायित्वों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता के महत्व पर जोर दिया है।**

चिंताएँ

- समझौते के सबसे विवादास्पद पहलू में **रोगजनकों और उनके आनुवंशिक कोड को साझा करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना शामिल है** ।
- **विकासशील देश अनुसंधान, विशेषकर टीकों से प्राप्त लाभों तक समान पहुंच के आश्वासन के बिना इस जानकारी को साझा करने में झिझक रहे हैं** ।
- समझौते में **इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए डब्ल्यूएचओ पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (पीएबीएस) सिस्टम नामक एक क्विड प्रो क्वो तंत्र का प्रस्ताव है** ।
- इस प्रणाली के तहत, देशों को डब्ल्यूएचओ-समन्वित नेटवर्क और डेटाबेस के साथ जीनोम अनुक्रम जानकारी और नमूने साझा करने होंगे।
- बदले में, **डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय और टीकों के निर्माताओं को अपने उत्पादों का 10% मुफ्त में और 10% गैर-लाभकारी कीमतों पर प्रदान करना होगा** ।
- का **उद्देश्य पीएबीएस के तहत जैविक सामग्री और आनुवंशिक अनुक्रम डेटा के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ-साझाकरण पर कानूनी दायित्व स्थापित करना है** ।
- मुख्य चुनौती समझौते के भीतर वैश्विक शासन, प्रवर्तन और जवाबदेही में है।
- पर्याप्त जवाबदेही और प्रवर्तन तंत्र के बिना, समझौता केवल प्रतीकात्मक होगा।
- अपर्याप्त प्रवर्तन क्षमताएं महामारी विरोधी उपाय भंडार, अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती और निगरानी और डेटा साझाकरण के समन्वय प्रयासों में भी बाधा डालती हैं।
- **वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन COVID-19 महामारी के दौरान अन्यायपूर्ण यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों और वैक्सीन की जमाखोरी को रोकने में विफल रहे** ।
- एक निर्णय लेने वाली संस्था के प्रस्ताव, जिसमें एक सचिवालय के साथ पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी) शामिल है, को वार्ता पाठ में शामिल किया गया है।
- यह अनिश्चित बना हुआ है कि क्या वार्ताकार इस संरचना पर आम सहमति पर पहुंचेंगे, जो **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) शिखर सम्मेलन से मिलता जुलता है, जहां सभी देशों को समान मतदान का अधिकार है** ।
- वार्ता पाठ में एक विवादास्पद मुद्दा **सार्वजनिक वित्तपोषण प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए उनकी बौद्धिक संपदा रॉयल्टी को माफ करने या कम करने की प्रस्तावित आवश्यकता है** ।

आगे क्या?

- जिनेवा में बातचीत का मौजूदा दौर इस सप्ताह समाप्त हो रहा है।
- इसका उद्देश्य मई के अंत में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा सर्वसम्मति निर्णय पर पहुंचना है।
- **समझौता ख़राब होने का ख़तरा** है सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के दबाव के कारण।

- मसौदा समझौता हालिया महामारी से उत्पन्न अधिकांश चिंताओं को संबोधित करता है, लेकिन कुछ भाषा, विशेष रूप से आईपी छूट के संबंध में, को कमजोर किया जा सकता है।
- किसी समझौते पर पहुंचने में असफल होना एक गंभीर झटका होगा।
- भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच विश्वास और समन्वय के पुनर्निर्माण के लिए महामारी समझौता महत्वपूर्ण है।

आसानी से उकसाया जाना: भारत के आंतरिक मामलों और विदेशी टिप्पणियों पर (GS PAPER II: भारत-अमेरिका संबंध)

भारत अपने ही लोकतांत्रिक रिकॉर्ड को लेकर भरोसा नहीं दिखा रहा है

- आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यों के बारे में अमेरिका की चिंता व्यक्त करने को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन टकराव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं।
- अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने दिल्ली में अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख को तलब किया और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ कड़ी सलाह दी।
- एक जर्मन राजनयिक को भी इसी तरह के बयान के लिए फटकार मिली, हालांकि जर्मनी ने बाद में अपनी टिप्पणी नरम कर दी।
- अमेरिकी **प्रशासन निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता के संबंध में अपने बयानों पर कायम रहा, जिसमें चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने जैसी कार्रवाइयों की आलोचना, एक और फटकार शामिल थी** ।
- मोदी **सरकार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, किसानों के विरोध प्रदर्शन, गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई और विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर बढ़ती अमेरिकी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है** ।
- मोदी सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये हस्तक्षेप वैध चिंताएँ हैं।
- यह **स्थिति भारत-अमेरिका संबंधों में एक बड़ी समस्या का संकेत दे सकती है** ।
- हाल की घटनाओं, जैसे कि अमेरिका द्वारा **एक शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारी से कथित संबंध वाले एक खालिस्तानी अलगाववादी के खिलाफ कथित हत्या की साजिश का आरोप , ने व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण और सैन्य और रणनीतिक क्षेत्रों में निरंतर सहयोग के बावजूद सार्वजनिक जुड़ाव को तनावपूर्ण बना दिया है** ।
- **अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के भारत के गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को अस्वीकार करने, इसके बजाय क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने का विकल्प चुनने और अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन की यात्रा को रद्द करने के साथ-साथ वाशिंगटन में भारतीय राजदूत के पद की रिक्ति को** सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता है।
- श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे हंगामे के संबंध में नई दिल्ली के सामने कई विकल्प हैं।
- वह **अमेरिका के साथ सार्वजनिक टकराव जारी रखने का विकल्प चुन सकता है,** शोर-शराबे और भद्दे विवाद में उलझना।
- वैकल्पिक रूप से, वह **अपने आंतरिक मामलों पर जैसे को तैसा टिप्पणी करके अमेरिका को जवाब दे सकता है** ।
- तीसरे विकल्प में **स्थिति से उकसाए जाने से इंकार करना शामिल है** ।
- हालाँकि तीसरा विकल्प वर्तमान सरकार के लिए आकर्षक नहीं लग सकता है, जो अक्सर आक्रामक सार्वजनिक कूटनीति में संलग्न रहती है, यह ताकत और सुरक्षा का प्रदर्शन कर सकती है।

- प्रभावी वैश्विक नेतृत्व, जिसका लक्ष्य भारत है, लचीलेपन और आलोचना का सामना करने की इच्छा की मांग करता है, जो अपने लिए बोलने की अपनी लोकतांत्रिक साख में एक शांत विश्वास द्वारा समर्थित है ।

नौकरियों का परिदृश्य निराशाजनक: 'द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ' पर (GS PAPER III: समावेशी विकास और बेरोजगारी)

तकनीकी रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

- भारत में युवा रोजगार पर एक हालिया रिपोर्ट चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डालती है।
- 'द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट/इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन द्वारा तैयार की गई है ।
- यह भारत के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, यह सुझाव देता है कि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप के बिना यह बर्बाद हो सकता है।
- लगभग 7-8 मिलियन युवा जुड़ते हैं ।
- भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं ।
- बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं का अनुपात 2000 में 35.2% से लगभग दोगुना होकर 2022 में 65.7% हो गया है ।
- निम्न शिक्षा स्तर (3.4%) वाले लोगों की तुलना में स्नातकों को काफी अधिक बेरोजगारी दर (29.1%) का सामना करना पड़ता है ।
- शिक्षित युवाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी इस स्थिति में योगदान करती है ।
- मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या उसमें गिरावट आई है, जिससे रोजगार चाहने वाले युवाओं के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं ।

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी से कम हो रहा है, युवाओं की हिस्सेदारी 2021 में 27% से घटकर 2036 तक 23% होने का अनुमान है ।
- उच्च आर्थिक विकास के बावजूद, युवाओं में बेरोजगारी दर ऊंची बनी हुई है, और कई नियोजित युवाओं के लिए काम करने की स्थिति खराब है ।
- रिपोर्ट जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक व्यापक नीति दृष्टि की आवश्यकता पर जोर देती है।
- श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन मौजूद है , महिलाओं की एलएफपीआर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है।
- अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक नौकरियों में लगे हुए हैं, जो बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए एक सुसंगत नीति ढांचे की कमी को उजागर करता है ।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार ने परिवर्तन को प्रभावित करने में सरकार की सीमाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की प्राथमिक नीति जनादेश 'स्थिर कीमतों के साथ अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देने' जैसी संस्थाओं के सक्रिय दृष्टिकोण के विपरीत है , ताकि अंततः इरादे को साकार किया जा सके । .
- आम चुनाव नजदीक आने के साथ, राजनेताओं को अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन और शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देने की जरूरत है ।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPERIII: समावेशी विकास और बेरोजगारी

प्रश्न: समावेशी विकास की चुनौतियों पर टिप्पणी करें जिसमें भारतीय संदर्भ में लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए जाने वाले उपाय सुझाएँ। (200 शब्द/12 ½ अंक) (यूपीएससी 2016)

उत्तर दृष्टिकोण

- **समावेशी विकास और लापरवाह एवं बेकार जनशक्ति** की संक्षिप्त व्याख्या के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत करें ।
- फिर लापरवाह और बेकार जनशक्ति द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ सामने लाएँ।
- फिर इन चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करें।
- आगे अतिरिक्त विचार लाएं।
- एक सुझावात्मक टिप्पणी के साथ समापन करें।

उत्तर

समावेशी विकास, समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आर्थिक विकास का एक दृष्टिकोण, भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करता है: लापरवाह और बेकार जनशक्ति का प्रसार। यह उस कार्यबल खंड को संदर्भित करता है जिसमें आर्थिक उत्पादन में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, प्रेरणा या जागरूकता का अभाव है। यह मुद्दा भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को निरंतर और न्यायसंगत प्रगति में परिवर्तित करने की क्षमता में काफी बाधा डालता है।

लापरवाह और बेकार जनशक्ति द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

- **कौशल बेमेल: भारत को अपने कार्यबल के पास मौजूद कौशल और अर्थव्यवस्था की मांग के बीच एक गंभीर बेमेल का सामना करना पड़ता है। तीव्र तकनीकी परिवर्तन और सेवा-उन्मुख क्षेत्रों की ओर बदलाव ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कम उत्पादकता वाले व्यवसायों में फंस जाता है।**
- **कम उत्पादकता: लापरवाही और प्रेरणा की कमी सीधे तौर पर कम उत्पादकता का कारण बनती है। भारत की श्रम उत्पादकता कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं को कम प्रतिस्पर्धी बनाता है और आर्थिक विकास को कमजोर करता है।**
- **जागरूकता की कमी: कई श्रमिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में, अपने अधिकारों, उपलब्ध अवसरों और बाजार की मांगों के बारे में जागरूकता की कमी है। इससे उनकी अधिक उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता सीमित हो जाती है।**
- **सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार: लापरवाह और बेकार जनशक्ति सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। कम उत्पादकता वाली नौकरियों में फंसे व्यक्तियों को गरीबी, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की कमी का सामना करना पड़ता है। यह हाशिए पर जाने और असमानता के चक्र को कायम रखता है।**
- **अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकीकरण: भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें कम वेतन, अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा की कमी है। लापरवाह और अकुशल कार्यबल की मौजूदगी इस अनौपचारिकीकरण को पुष्ट करती है।**

इन चुनौतियों से निपटने के उपाय

- **शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप देना: शिक्षा और रोजगार योग्यता के बीच अंतर को पाटने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और बाजार की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम पर अधिक जोर देना आवश्यक है। समस्या-समाधान और संचार जैसे सॉफ्ट कौशल को शिक्षा में एकीकृत किया जाना चाहिए।**

- **लक्षित कौशल विकास पहल: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी सरकारी योजनाओं को व्यापक और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देते हुए विशिष्ट उद्योगों और क्षेत्रों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- **उद्यमिता को बढ़ावा: स्व-रोजगार और छोटे व्यवसायों में कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करने की क्षमता है। वित्त तक पहुंच को सक्षम करना, व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करना और सलाह संबंधी सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।**
- **श्रम बाज़ार सुधार: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और लचीलेपन को बढ़ावा देने, कार्यबल के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है।**
- **ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि और गैर-कृषि आजीविका में निवेश आवश्यक है।**

अतिरिक्त मुद्दो पर विचार करना

- **सामाजिक भेदभाव से निपटना: जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कुछ समूहों के लिए उपलब्ध अवसरों को सीमित करता है। शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और कानूनी उपाय आवश्यक हैं।**
- **स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच पर ध्यान दें: एक स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होता है। किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच दीर्घकालिक मानव पूंजी के निर्माण के लिए केंद्रीय है।**
- **प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करना: हालाँकि स्वचालन कुछ जोखिम पैदा करता है, नई प्रौद्योगिकियों को सावधानीपूर्वक अपनाने से नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं और उत्पादकता बढ़ सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों को फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**

इस प्रकार, लापरवाह और बेकार जनशक्ति की चुनौती पर काबू पाना आसान नहीं है और इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटकर, भारत अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है, अपनी विशाल आबादी को समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन में बदल सकता है।

राजनीतिक रैलियों में एक टालने योग्य प्रवृत्ति (GS PAPER II: चुनाव)

अच्छा होगा कि नेता मीडिया के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी शुरू करने के बजाय रैलियों में नीतियों और वादों की घोषणा करें

- **पत्रकारों को अपने कार्य क्षेत्र में कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कानूनी प्रतिशोध, राजनीतिक दबाव और अब, उनके नेताओं द्वारा उकसाई गई भीड़ की शत्रुता शामिल है** ।
- राजनीतिक सभाएँ और रैलियाँ पत्रकारों के लिए विशेष रूप से जोखिम भरी होती हैं, क्योंकि कुछ राजनेता पत्रकारों को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने के लिए भीड़ में हेरफेर करते हैं।
- राजनेता अक्सर **'हम बनाम वे' की कहानी गढ़ते हैं** , भीड़ को मीडिया के खिलाफ कर देते हैं और शत्रुता का माहौल पैदा करते हैं।
- **रिपोर्टर मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हिंसा का जोखिम उठाते हैं** पत्रकारों को सूचना के आवश्यक संवाहक के बजाय विरोधियों के रूप में देखने के लिए तैयार की गई भीड़ से।

- इस शत्रुता का एक उदाहरण महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुआ, जहां उन्होंने मीडिया पर सच्चाई नहीं दिखाने का आरोप लगाया, जिससे भीड़ मीडिया विरोधी नारे लगाने लगी।
- पत्रकार ने शुरू में रैली के दौरान लोगों से बातचीत करने के लिए निर्दिष्ट प्रेस क्षेत्र के बजाय लोगों के बीच खड़े होने का विकल्प चुना।
- हालाँकि, राहुल गांधी की टिप्पणी सुनने और भीड़ के गुस्से को भांपने पर, पत्रकार ने सावधानी से अपना मीडिया कार्ड छिपा लिया और टकराव से बचने के लिए गुमनाम रहना चुना।
- पत्रकार को एहसास हुआ कि आक्रामक भीड़ में, पत्रकारों या उनके मीडिया संबद्धताओं के बीच अंतर अप्रासंगिक है; सभी मीडिया को पक्षपाती माना जाता है।
- बाद में, पत्रकार ने दो अन्य पत्रकारों के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की और उनकी टिप्पणियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।
- गांधी ने उनकी चिंताओं को समझा और मुंबई में एक बाद की रैली के दौरान मीडिया की आलोचना करने से परहेज किया।
- आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव जैसे विपक्षी नेता जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए अक्सर मीडिया घरानों को निशाना बनाते हैं।
- **कुछ नेता कुछ मीडिया आउटलेट्स के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने या सवाल पूछने से रोकने की हद तक चले जाते हैं** ।
- **इस तरह की रणनीति लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कमजोर करती है** ।
- **पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका जनता को उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करना है** ।
- जैसे-जैसे भारत लोकसभा चुनाव के करीब आ रहा है, उम्मीद है कि **राजनीतिक नेता पत्रकारों पर हमला करने के बजाय नीतियों और वादों की घोषणा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे** ।

भारत के कोयला आयात को समझना **(GS PAPER III: उद्योग)**

भारत में कोयले की कमी को लेकर चल रही चर्चा में सुधार की जरूरत है

- अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में बिजली की कमी आम होती जा रही है।

लॉजिस्टिक्स के बारे में अधिक जानकारी

- इन कमीयों में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक बिजली उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले घरेलू थर्मल कोयले की कमी है।
- अगस्त 2023 में, लगभग 840 मिलियन यूनिट बिजली की कमी थी, जिसका कारण खराब मानसून था, जिसके कारण मांग में वृद्धि हुई और कुछ स्रोतों से आपूर्ति कम हो गई।
- हालाँकि, यह कमी उस महीने बिजली की कुल माँग का केवल 0.55% थी।
- अगस्त और सितंबर के दौरान कोयला खदानों में 30 मिलियन टन से अधिक कोयले की उपलब्धता के बावजूद, चुनौती **बिजली संयंत्रों तक कोयले के परिवहन के लिए अपर्याप्त रसद में है** ।
- बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में **एक बड़ी बाधा के रूप में रेलवे नेटवर्क** से जुड़े लॉजिस्टिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है ।
- बिजली संयंत्रों तक कोयले के परिवहन की लॉजिस्टिक चुनौती से निपटने में समय लगेगा, इसलिए इस बीच बिजली की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता है।
- कमी को पूरा करने के लिए कोयला भारत का प्राथमिक समाधान बना हुआ है, इस धारणा के साथ कि वैकल्पिक स्रोतों में मुख्य रूप से आयात शामिल है।

- कोल इंडिया लिमिटेड सालाना अपने उत्पादन का लगभग 10% नीलामी करता है, जो बिजली संयंत्रों के लिए कोयले के संभावित वैकल्पिक स्रोत की पेशकश करता है।
- हालाँकि नीलाम किए गए कोयले की कीमतें अन्य स्रोतों से प्राप्त कोयले की तुलना में अधिक हो सकती हैं, फिर भी वे आयातित कोयले की कीमत से कम हैं।
- नीलाम किए गए कोयले की उपलब्धता के बावजूद, कई बिजली संयंत्र इसे व्यवहार्य विकल्प नहीं मानते हैं।

आयात का मुद्दा

- घरेलू कोयले के साथ मिश्रण के लिए, नीलाम किए गए कोयले के उपयोग के साथ भी, कुछ थर्मल कोयले का आयात अभी भी आवश्यक हो सकता है।
- बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को जून 2024 तक अपने कोयला स्टॉक की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार वजन के हिसाब से 6% तक कोयला आयात करने की सलाह जारी की।
- जबकि इस **सलाह को 6% कोयला आयात करने के आदेश के रूप में बताया गया था,** बिजली नियामकों को बिजली की लागत में विवेकशीलता सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसी सलाह को आदेश के रूप में नहीं समझना चाहिए।
- लेबल किए जाने के बावजूद , कुछ लोगों ने कोयला आयात पर बिजली मंत्रालय के मार्गदर्शन को एक आदेश के रूप में गलत समझा है।
- सलाह में कोयले को "आवश्यकताओं के अनुसार" मिश्रित करने पर जोर दिया गया है, जो मजबूरी के बजाय लचीलेपन का संकेत देता है।
- **विश्लेषण से पता चलता है कि सम्मिश्रण में थोड़ी सी वृद्धि से पूर्ण 6% आयात सीमा की आवश्यकता के बिना कमी को हल किया जा सकता था** ।
- **6% आयात सीमा को अनिवार्य मानने से लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है** , खासकर तब जब कोयले का योगदान अभी भी भारत की बिजली उत्पादन का 70% से अधिक है।
- **6% के स्तर पर अनिवार्य सम्मिश्रण कोयला आधारित बिजली की परिवर्तनीय लागत को 4.5% - 7.5% तक बढ़ा सकता है।**
- परामर्श के बिना स्वत: सम्मिश्रण को सक्षम करने वाले विनियामक तंत्र पर्याप्त औचित्य के बिना विस्तारित अवधि के लिए उच्च लागत को अधिकृत करने का जोखिम उठाते हैं।

पीढ़ी और स्थान

- भारत में सभी बिजली संयंत्रों को कोयले की कमी के संबंध में समान चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
- खदानों के करीब स्थित संयंत्र (पिट-हेड प्लांट) आमतौर पर अधिक बिजली पैदा करते हैं और कोयले की कमी होने की संभावना कम होती है ।
- खदानों से दूर स्थित संयंत्रों में कमी अधिक आम है, जो उतनी बिजली पैदा नहीं कर पाते हैं।
- सभी संयंत्रों के लिए 6% कोयला आयात करने के आदेश के रूप में सलाह की व्याख्या करना अनुचित और अनुचित है।
- प्राथमिक **चुनौती कोयले को उन संयंत्रों तक पहुंचने से रोकने वाली रसद बाधाओं को दूर करने में है जहां इसकी आवश्यकता है** ।
- नियामक निकायों और वितरण उपयोगिताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोयला आधारित संयंत्र संभावित कमी के प्रति सतर्क रहें।
- अंतर को पाटने के लिए सबसे सस्ते वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करना आवश्यक है, जिसमें हमेशा आयात शामिल नहीं हो सकता है।
- इन चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान करने में विफलता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अकुशल कोयला खरीद प्रथाओं का बोझ उठाना पड़ सकता है।

क्या चुनावी बांड योजना जबरन वसूली को सक्षम बनाती है (GS PAPERII: चुनाव)

- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर (आईटी) विभाग की नियामक कार्रवाई का सामना करने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दलों को करोड़ों रुपये के चुनावी बांड दान किए , भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों से पता चलता है (ईसीआई)।
- कुछ कंपनियाँ जिन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके मिले थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में बांड खरीदे। कुछ नई कंपनियाँ , जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान शामिल किया गया था , ने शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही करोड़ों रुपये के बांड खरीदे।
- क्या चुनावी बांड योजना का उपयोग जबरन वसूली उपकरण के रूप में किया गया था? **विग्नेश राधाकृष्णन** द्वारा संचालित बातचीत में **सुभाष चंद्र गर्ग** और **अंजलि भारद्वाज ने इस प्रश्न पर चर्चा की** । संपादित अंश:

ED/IT की कार्रवाई के बाद कई कंपनियों ने करोड़ों रुपये के बॉन्ड खरीदे. इनमें से अधिकांश धनराशि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को गई; कुछ विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दलों में चले गए। कुछ लोगों ने इस योजना को जबरन वसूली का साधन कहा है? क्या आप सहमत हैं?

- अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बांड खरीदने वाली ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग जैसी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों के बारे में चिंता जताई है, जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी को जा रहा है।
- वह सवाल करती हैं कि क्या इन एजेंसियों का इस्तेमाल फंड के लिए कंपनियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था और क्या कंपनियों को सत्तारूढ़ पार्टी को दान देकर जांच को प्रभावित करने की उम्मीद थी।
- भारद्वाज का सुझाव है कि **इन मामलों की गहन जांच की जरूरत है.**
- सुभाष चंद्र गर्ग डेटा सार्वजनिक होने के बाद नागरिक समाज द्वारा किए गए खोजी विश्लेषण को स्वीकार करते हैं।
- गर्ग ने **चुनावी बांड खरीद की तारीखों के साथ जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सहसंबंधित करने की संभावना का उल्लेख किया है।**
- उनका सुझाव है कि योजना द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने कंपनियों को इस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया होगा, और इस पारदर्शिता के बिना, दान अप्राप्य रह सकता था।

बड़े पैमाने पर दान देने वाली कंपनियों और उच्च-मूल्य वाले सरकारी अनुबंध प्राप्त करने वाली कंपनियों के बीच मजबूत संबंध भी देखा जा सकता है। क्या इन मामलों को बदले की भावना से लेना सही है?

- सुभाष चंद्र गर्ग राजनीतिक चंदे में बदले की भावना की आम प्रथा को स्वीकार करते हैं, जहां **कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए दान देती हैं।**
- वह **चुनावी बांड योजना को गोपनीयता बनाए रखते हुए दान के लिए वैध धन की अनुमति देकर बदले की भावना को सुविधाजनक बनाने का एक पारदर्शी तरीका मानते हैं।**
- अंजलि भारद्वाज इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक फंडिंग में बदले की भावना एक लंबे समय से मुद्दा रहा है, जहां कंपनियां नीतियों को प्रभावित करने और अनुबंध सुरक्षित करने के लिए दान करती हैं।
- वह इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि इस तरह के लेन-देन चुनावी बांड योजना से पहले होते थे, लेकिन इस योजना ने धन के प्रवाह का पता लगाना और भी कठिन बना दिया है।
- भारद्वाज ने चुनावी बांड योजना में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की, यह देखते हुए कि नकद दान कम हो गया था, बांड के व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की अनुमति देने वाली खामियां थीं।

- उनका तर्क है कि इस **योजना में पारदर्शिता पर गुमनामी को प्राथमिकता दी गई, जिससे राजनीतिक दान के बारे में जानने के सार्वजनिक अधिकार कमजोर हो गए।**
- गर्ग ने चुनावी बांड योजना का बचाव करते हुए कहा कि इसने नकद दान को कम किया और दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच गुमनामी बनाए रखकर कंपनियों को संभावित प्रतिशोध से बचाया।
- उनका सुझाव है कि ध्यान केवल कंपनियों को दोष देने पर नहीं बल्कि कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर भी होना चाहिए ताकि सफलता के लिए कंपनियों को सरकार को खुश करने की जरूरत कम हो।

कुछ कंपनियों ने निगमित होने के महीनों बाद करोड़ों रुपये का दान दिया। कुछ जो कि COVID-19 महामारी के दौरान शुरू हुए, उन्होंने एक वर्ष के भीतर ₹30 करोड़ से अधिक का दान दिया। उनमें से कई के पास वेबसाइट भी नहीं है. कुछ कंपनियों ने एक वित्तीय वर्ष में घाटे का सामना करने के बावजूद ₹50 करोड़ से अधिक का दान दिया। ये निष्कर्ष क्या संकेत दे सकते हैं?

- **सुभाष चंद्र गर्ग का तर्क है कि घाटे में चल रही कंपनियों को दान देने की अनुमति देने से खेल का स्तर संतुलित हो जाता है और अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धा में उन्हें नुकसान होने से बचाया जा सकता है।**
- वह दान देने से पहले कंपनियों द्वारा नाम शामिल करने या बदलने के उदाहरणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन सुझाव देते हैं कि यह जरूरी नहीं कि आपराधिकता का संकेत हो।
- अंजलि भारद्वाज घाटे में चल रही कंपनियों को भी दान देने की अनुमति देने के लिए चुनावी बांड योजना की आलोचना करती हैं, संभवतः बदले के उद्देश्यों के लिए।
- वह उस योजना के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालती हैं जो **गुमनाम दान को फ़नल करने के लिए शेल कंपनियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे काला धन उत्पन्न होता है और अस्पष्ट राजनीतिक फंडिंग होती है।**
- भारद्वाज का कहना है कि **नकद दान की सीमा को कम करने से अघोषित नकद दान को रोकने में बहुत कम मदद मिली, क्योंकि पार्टियाँ अभी भी बड़ी रकम को अज्ञात योगदान में विभाजित कर सकती हैं।**
- उनका तर्क है कि राजनीति में नकदी को कम करने और फंडिंग पारदर्शिता बढ़ाने की योजना का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका, जैसा कि चुनावी बांड से पर्याप्त आय और दान के लिए शेल कंपनियों के उपयोग से पता चलता है।
- गर्ग ने जवाब देते हुए कहा कि शेल कंपनियों के बारे में चिंताओं को आरबीआई के परामर्श से संबोधित किया गया था, और बांड के लिए एक सीमित जीवन निर्धारित करने जैसे जोखिमों को कम करने के लिए समायोजन किए गए थे।
- उनका तर्क है कि कंपनियों के खातों से प्रत्यक्ष दान तार्किक और पारदर्शी है, जिससे शेल कंपनियों की आवश्यकता कम हो जाती है, और गुमनामी पर योजना के जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने का बचाव करते हैं।
- गर्ग का सुझाव है कि विस्तृत डेटा जारी करने से योजना के उद्देश्य को कम किए बिना दान पैटर्न में अंतर्दृष्टि मिलती है।

एसबीआई ने अद्वितीय नंबरों का मिलान करने के लिए चार महीने का समय मांगा था, लेकिन **न्यायालय की फटकार के बाद एक सप्ताह के भीतर ही इसे पूरा कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने दावा किया था कि यूनिक नंबर कहीं भी दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन ताजा खुलासे से पता चलता है कि ये दर्ज किए गए थे. ये विरोधाभासी बयान क्या दर्शाते हैं?**

- सुभाष चंद्र गर्ग का दावा है कि **चुनावी बांड में अल्फ़ान्यूमेरिक कोड एक सुरक्षा सुविधा थी** , जिसका उद्देश्य मुद्रा नोटों पर सुरक्षा सुविधाओं के समान पहचान उद्देश्यों के लिए नहीं था।
- उनका सुझाव है कि गैर- डिजिटल सुरक्षा पद्धति का उपयोग करना बाद में अधिक उपयुक्त हो सकता है, लेकिन अल्फ़ान्यूमेरिक कोड की गोपनीयता का बचाव करता है, जो योजना के इरादों के अनुरूप है।

- अंजलि भारद्वाज ने **डेटा एकत्र करने के लिए चार महीने की आवश्यकता के एसबीआई के दावे पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि इसका उद्देश्य अदालत को गलत जानकारी देना और चुनाव की तारीख के बाद तक खुलासे में देरी करना है।**
- **वह क्रेता और जमाकर्ता दोनों पक्षों पर दर्ज किए जाने वाले अल्फ़ान्यूमेरिक कोड के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालती है, जो संभावित रूप से योजना की अखंडता से समझौता करता है और संवेदनशील जानकारी को सत्तारूढ़ दल के लिए सुलभ बनाता है।**
- भारद्वाज का तर्क है कि इन मुद्दों की गहन जांच जरूरी है और नागरिकों को इस संदर्भ में एसबीआई की भूमिका को समझने का अधिकार है।

तकनीकी दिग्गज यूरोपीय संघ की जांच का सामना कर रहे हैं (GS PAPER III: Digital Market)

- यूरोपीय आयोग ने ऐप्पल, मेटा (पूर्व में फेसबुक), गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और अमेज़ॅन जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों के खिलाफ "गैर-अनुपालन जांच" शुरू की।
- **डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए)** के प्रावधानों के अनुरूप, डिजिटल क्षेत्र में निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
- जांच यह आकलन करने पर केंद्रित होगी कि क्या ये कंपनियां डीएमए में उल्लिखित नियमों का अनुपालन कर रही हैं।
- विशेष रूप से, **ऐप्पल, मेटा और अल्फाबेट की विभिन्न प्रथाओं के साथ-साथ अमेज़ॅन की उसके बाज़ार के भीतर रैंकिंग प्रथाओं की जांच की जाएगी** ।
- इसका उद्देश्य **डिजिटल बाजार क्षेत्र में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है** इन तकनीकी दिग्गजों के बीच किसी भी संभावित गैर-अनुपालन मुद्दे को संबोधित करके।

इन गैर-अनुपालन जांचों का संदर्भ कहां है?

- यूरोपीय आयोग की गैर-अनुपालन जांच में अल्फाबेट (गूगल की मूल कंपनी), ऐप्पल और मेटा (पूर्व में फेसबुक) को निशाना बनाया गया है, जो **ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी सेवाओं की ओर ले जाने से संबंधित उनकी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है** ।'
- **ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी सेवाओं की ओर निर्देशित करने वाले** कथित नियमों के लिए अल्फाबेट की जांच की जा रही है , जबकि ऐप्पल को अपने ऐप स्टोर के भीतर समान प्रथाओं और अपने सफारी ब्राउज़र की स्थिति के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है। मेटा की उसके " **भुगतान या सहमति मॉडल** " के लिए जांच चल रही है।
- ये जांच डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के प्राथमिक लक्ष्य के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य 'द्वारपालों' को विनियमित करना और डिजिटल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- अल्फाबेट, अमेज़ॅन, ऐप्पल, टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस और माइक्रोसॉफ्ट सहित नामित 'द्वारपालों' से 7 मार्च तक डीएमए दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने की उम्मीद की गई थी।
- जांच शुरू करने से पहले, आयोग ने इन कंपनियों से अनिवार्य अनुपालन रिपोर्ट का आकलन किया और हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र की।
- आयोग में प्रतिस्पर्धा नीति की देखरेख करने वाली कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्ग्रेट वेस्टेगर ने अनुकूलन की सुविधा के लिए द्वारपालों के साथ चल रही चर्चा पर प्रकाश डाला, लेकिन यूरोपीय लोगों के लिए डिजिटल स्थान में निष्पक्षता और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए अल्फाबेट, ऐप्पल और मेटा द्वारा प्रदान किए गए समाधानों की पर्याप्तता के बारे में चिंता व्यक्त की। नागरिक और व्यवसाय।

स्टीयरिंग नियम गैर-अनुपालक कैसे हैं?

- डीएमए (डिजिटल मार्केट एक्ट) प्रावधानों में कहा गया है कि ऐप डेवलपर्स को उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अल्फाबेट (Google) और ऐप्पल जैसे 'द्वारपालों' द्वारा संचालित ऐप स्टोर के बाहर ऑफ़र और सेवाओं के लिए निर्देशित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- यूरोपीय आयोग ने अल्फाबेट और ऐप्पल द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों और सीमाओं का हवाला देते हुए इन प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की।
- ऐप्पल ने सुरक्षित और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए अपने ऐप स्टोर में सख्त एकीकरण के महत्व पर जोर देकर अपने रुख का बचाव किया।
- ऐप्पल ने आकार को नुकसान के बराबर मानने और उपभोक्ताओं या व्यवसायों के संभावित लाभों पर विचार किए बिना नियामक दायित्वों को लागू करने के लिए डीएमए प्रावधानों की आलोचना की।
- Spotify ने Apple के नियमों के साथ अपने ऐप के भीतर ऑफ़र, कीमतों और खरीदारी विकल्पों के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने वाले पिछले मुद्दों पर प्रकाश डाला।
- Spotify का अनुमान है कि DMA नियम उसे EU में उपभोक्ताओं के साथ प्रचार, सौदों और भुगतान विकल्पों के बारे में अधिक स्वतंत्र रूप से विवरण साझा करने में सक्षम बनाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के संदेह के बाद, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने प्ले स्टोर पर मूल्य निर्धारण नीतियों में कथित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए Google के खिलाफ एक विस्तृत जांच शुरू की।

अल्फाबेट के आत्म-वरीयता में संलग्न होने के बारे में क्या?

- यूरोपीय आयोग यह निर्धारित करने के लिए Google की जांच कर रहा है कि क्या उसके खोज परिणाम प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपनी सेवाओं के प्रति पक्षपात दिखाते हैं , जो संभावित रूप से डीएमए (डिजिटल मार्केट एक्ट) में उल्लिखित निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मानकों का उल्लंघन करते हैं।
- इस जांच का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या Google के खोज परिणाम पृष्ठ पर प्रदर्शित तृतीय-पक्ष सेवाओं के साथ Google की अपनी सेवाओं की तुलना में निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।
- 2020 में, अमेरिकी न्याय विभाग ने Google पर खोज और खोज विज्ञापन बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के माध्यम से गैरकानूनी रूप से एकाधिकार बनाए रखने, खोज गुणवत्ता, विकल्प और नवाचार को कम करके उपभोक्ताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
- अमेज़ॅन टेलरिंग मार्केटप्लेस लिस्टिंग के लिए भी जांच के दायरे में है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रथाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

Apple सक्षम विकल्प के बारे में क्या?

- यूरोपीय आयोग **ऐप्पल की प्रथाओं की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन को आसानी से अनइंस्टॉल कर सकें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदल सकें और पसंदीदा स्क्रीन के माध्यम से डिफ़ॉल्ट सेवाओं के विकल्प का चयन कर सकें।**
- ऐसी चिंताएँ हैं कि Apple के उपाय उपयोगकर्ताओं को Apple पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से सेवाओं को चुनने से सीमित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की कैद की समस्या हो सकती है।

मेटा के मॉडल के बारे में क्या चिंताएँ हैं?

- मेटा ने ईयू, ईईए और स्विट्जरलैंड में एक सदस्यता मॉडल पेश किया, जिससे उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों के बिना फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करने या वैयक्तिकृत विज्ञापनों के साथ मुफ्त में जारी रखने की अनुमति मिली।

- हालाँकि, यूरोपीय आयोग इस मॉडल से आश्वस्त नहीं था, उसने कहा कि यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक विकल्प प्रदान नहीं कर सकता है जो वैयक्तिकृत विज्ञापन के लिए सहमति नहीं देते हैं, द्वारपालों द्वारा डेटा संचय को रोकने में विफल रहते हैं।

अनुपालन न करने वाली कंपनियों को कैसे दंडित किया जाएगा?

- गैर-अनुपालन वाली कंपनियों को अपने वैश्विक कारोबार का 10% तक या बार-बार उल्लंघन के लिए 20% तक जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
- व्यवस्थित उल्लंघन के मामलों में, कंपनियों को अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को बेचने या संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने पर प्रतिबंध का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है।
- जांच घोषणा ने अतिव्यापी नियामक जिम्मेदारियों को संबोधित करने के बारे में हितधारकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं।

पिछले 10 वर्षों में भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता को मापना

- भारत लगातार पांच वर्षों से इंटरनेट शटडाउन के मामले में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है।
- 2016 और 2022 के बीच, दुनिया भर में लगभग 60% इंटरनेट ब्लैकआउट भारत में हुए।
- राज्य द्वारा लगाए गए इन बंदों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरों के आधार पर उचित ठहराया गया है।
- हालाँकि, अधिकार समूहों का तर्क है कि ये शटडाउन अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

इंटरनेट शटडाउन

- 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2023 के बीच भारत सरकार ने कुल 780 बार इंटरनेट शटडाउन लगाया।
- ये शटडाउन विभिन्न घटनाओं के दौरान लागू किए गए थे जैसे कि 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और 2020 में फार्म बिल पेश करना।
- भारत में इंटरनेट व्यवधानों ने 2020 में वैश्विक आर्थिक नुकसान में 70% से अधिक का योगदान दिया।
- अकेले 2023 में, भारत में 7,000 से अधिक घंटों तक इंटरनेट शटडाउन का अनुभव हुआ।
- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम** के अनुसार , **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल "सार्वजनिक आपातकाल" के दौरान या "सार्वजनिक सुरक्षा" कारणों से इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं** ।
- हालाँकि, कानून में यह परिभाषित करने में स्पष्टता का अभाव है कि आपातकालीन या सुरक्षा मुद्दा क्या है।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला **सुनाया कि इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और अनिश्चितकालीन शटडाउन असंवैधानिक है।**

- अदालतों ने सरकारों को शटडाउन आदेशों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, लेकिन जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा है, इस प्रावधान का अनुपालन खराब रहा है।

ब्रिटिश काल का कानून

- 433 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ ।
- 2023 में सबसे लंबा ब्लैकआउट जातीय संघर्ष के दौरान मणिपुर में हुआ, जो मई से दिसंबर तक चला।
- इस साल 15 फरवरी तक, किसानों के विरोध के कारण हरियाणा में इंटरनेट शटडाउन जारी था।

- दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटिश काल के कानून के तहत पंजाब में मोबाइल इंटरनेट निलंबित कर दिया।
- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि भारत **'तीन-भाग परीक्षण' को पूरा करने में विफल रहा** अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर में शटडाउन लगाने के लिए।
- विश्व स्तर पर, विरोध प्रदर्शन इंटरनेट शटडाउन का सबसे आम कारण है, इसके बाद सूचना नियंत्रण और राजनीतिक अस्थिरता है।
- 2015 और 2022 के बीच, भारत में 55,000 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया, मुख्य रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत।
- अधिकांश सामग्री सेंसरशिप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार थे।
- कुल मिलाकर लगभग 30,000 सोशल मीडिया यूआरएल को 2018 और 2022 के बीच ब्लॉक कर दिया गया था।
- वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए साइबर क्राइम के खतरों को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है, भारत में पिछले साल 65,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

भारत और वैश्विक रुझान

- फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता लगातार 13वें वर्ष खराब हुई है, 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकार बिगड़ रहे हैं।
- पिछले तीन वर्षों में इंटरनेट स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।
- हालाँकि, भारत के स्कोर में गिरावट आई है, जो 2016 और 2017 में 59 अंक से घटकर 2023 में 50 अंक रह गया है।
- यह पिछले वर्षों की तुलना में भारत में ऑनलाइन मानवाधिकार संरक्षण के लिए समग्र वातावरण में कमी का संकेत देता है।

प्रश्न 1: आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है? a.कोयला b.स्टील c. रिफाइनरी उत्पाद d.प्राकृतिक गैस
प्रश्न 2: आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह व्यापक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का एक हिस्सा है। 2. इसका उपयोग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a.केवल 1 b.केवल 2 c. 1 और 2 दोनों d.न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 3: आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI) किसके द्वारा जारी किया जाता है:

a.भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
b.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)
c. योजना आयोग (नीति आयोग)
d.आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

प्रश्न 4: आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

उद्योग	भार (%)
1. उर्वरक	10.33
2. कच्चा तेल	2.63
3. प्राकृतिक गैस	6.88

ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?

a.केवल एक
b.केवल दो
c. तीनों
d.कोई नहीं

प्रश्न 5: चारमीनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका निर्माण कुतुब शाही वंश ने करवाया था।
2. इसमें बहमनी सल्तनत के वास्तुशिल्प तत्व शामिल हैं।
3. यह मुख्य रूप से अकाल के अंत को चिह्नित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक स्मारक है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a.केवल 1
b.केवल 1 और 2
c. केवल 2 और 3
d.1, 2 और 3

प्रश्न 6: हैदराबाद में चारमीनार किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है?

a.मुगल वास्तुकला
b.डेक्कन सल्तनत वास्तुकला
c. द्रविड़ वास्तुकला
d.इंडो-इस्लामिक वास्तुकला

प्रश्न 7: चारमीनार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

a.इसे मुख्य रूप से एक किले के रूप में बनाया गया था।
b.यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
c. इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है।
d.इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान किया गया था।

सवाल	उत्तर और स्पष्टीकरण

प्रश्न 1: आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है? a.कोयला b.स्टील c. रिफाइनरी उत्पाद d.प्राकृतिक गैस	उत्तर: c. रिफाइनरी उत्पाद स्पष्टीकरण: नवीनतम भारांक के अनुसार, आईसीआई में रिफाइनरी उत्पादों का योगदान सबसे अधिक है, इसके बाद बिजली और इस्पात का स्थान है।
प्रश्न 2: आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह व्यापक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का एक हिस्सा है। 2. क्षेत्र के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है । उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a.केवल 1 b.केवल 2 c. 1 और 2 दोनों d.न तो 1 और न ही 2	उत्तर d.न तो 1 और न ही 2 स्पष्टीकरण: कथन 1 गलत है: आईसीआई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का एक उपसमूह है न कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)। कथन 2 आंशिक रूप से सही है: हालांकि आईसीआई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन का अच्छा संकेत देता है, लेकिन यह संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र को कवर नहीं करता है।
प्रश्न 3: आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI) किसके द्वारा जारी किया जाता है: a.भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) b.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) c. योजना आयोग (नीति आयोग) d.आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी	उत्तर: d.आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी स्पष्टीकरण: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के भीतर आर्थिक सलाहकार का कार्यालय आईसीआई को संकलित और प्रकाशित करता है।
प्रश्न 4: आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें: उद्योग भार (%) 1. उर्वरक 10.33 2. कच्चा तेल 2.63 3. प्राकृतिक गैस 6.88 ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं? a.केवल एक b.केवल दो c. तीनों d.कोई नहीं	उत्तर: a.केवल 3
प्रश्न 5: चारमीनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका निर्माण कुतुब शाही वंश ने करवाया था। 2. इसमें बहमनी सल्तनत के वास्तुशिल्प तत्व शामिल हैं।	उत्तर: a.केवल 1 स्पष्टीकरण: कथन 1 सही है.

3. यह मुख्य रूप से अकाल के अंत को चिह्नित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक स्मारक है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a.केवल 1 b.केवल 1 और 2 c. केवल 2 और 3 d.1, 2 और 3	कथन 2 गलत है. चारमीनार फ़ारसी प्रभाव के साथ इंडो-इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, जो बहमनी सल्तनत से अलग शैली है। कथन 3 ग़लत है. हालाँकि इसके प्लेग के अंत से जुड़े होने के बारे में सिद्धांत हैं, इसके निर्माण के पीछे के कारणों पर कुछ हद तक बहस चल रही है।
प्रश्न 6: हैदराबाद में चारमीनार किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? a.मुगल वास्तुकला b.डेक्कन सल्तनत वास्तुकला c. द्रविड़ वास्तुकला d.इंडो-इस्लामिक वास्तुकला	उत्तर: d.इंडो-इस्लामिक वास्तुकला व्याख्या: चारमीनार के मेहराब, मीनारें और फ़ारसी प्रभाव इंडो-इस्लामिक स्थापत्य शैली की विशेषता हैं।
प्रश्न 7: चारमीनार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? a.इसे मुख्य रूप से एक किले के रूप में बनाया गया था। b.यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। c. इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है। d.इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान किया गया था।	उत्तर: c. इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है। स्पष्टीकरण: चारमीनार एक मस्जिद और एक स्मारक संरचना दोनों के रूप में कार्य करता था और इसके दूसरे स्तर पर एक मस्जिद है।